अति आवश्यक

पत्र संख्या–11/आ० वि०–02/2021 सा0प्र0.....

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
11 JUN 20
बिहार, पटना

प्रेषक,

दिवाकर मणि,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

स्पीड–पोस्ट

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–.....

विषय :– **अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–6 पर दर्ज कुर्मी (महतो) झारखंड स्वशासी क्षेत्र के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–13623 दिनांक–10.09.2015 द्वारा बिहार राज्य हेतु परिचारित अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची–1 के क्रमांक–6 पर 'कुर्मी (महतो) झारखंड स्वशासी क्षेत्र' दर्ज है तथा पूर्व में झारखंड स्वशासी क्षेत्र में निवास करने वाली इस जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का लाभ अनुमान्य कराया गया था। दूसरी ओर राज्य के अन्य जिलों में निवास करने वाली 'कुर्मी' जाति को पिछड़े वर्ग की सुविधा अनुमान्य है, यह जाति पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–35 पर दर्ज है। बिहार विभाजन के पश्चात झारखंड स्वशासी क्षेत्र पूर्णतः झारखंड के क्षेत्राधीन है।

यदि कोई आवेदक/ आवेदिका ऐसा दावा करता/करती है कि वह झारखंड स्वशासी क्षेत्र का कुर्मी (महतो) है, तो वह स्वयं को अन्य राज्य झारखंड का निवासी बता रहा/रही हैं।

उल्लेखनीय है कि बिहार अधिनियम, 15, 2003 की धारा–3 में किया गया प्रावधान निम्नवत् है –

'परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।'

उक्त अधिनियम के आलोक में बिहार राज्य से बाहर के अभ्यर्थी को राजकीय सेवाओं में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है ।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(दिवाकर मणि)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ० वि०–02/2021 सा0प्र0 10207 पटना–15, दिनांक– 10-6-26

प्रतिलिपि–प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.06.26
सरकार के अवर सचिव।

FILE PATH-C/Nitish – HINDI LETTER